

करदाता की निवासीय स्थिति (Residential Status of Assessee)


करदाता के निवास-स्थान को ही उसकी निवासीय स्थिति कहते हैं। यह निवासीय स्थिति उसके गत वर्ष में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक गत वर्ष के लिए करदाता की भारत में रहने की अवधि के आधार पर निवासीय स्थिति बदल सकती है। एक व्यक्ति के निवास-स्थान का उसकी राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

निवास-स्थान के आधार पर करदाता

(ASSEESSEES ON THE BASIS OF RESIDENCE)

समस्त करदाताओं की निवासीय स्थिति को निमांकित चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है :

निवास-स्थान के आधार पर करदाताओं की श्रेणियाँ



प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवास-स्थान

यह आवश्यक नहीं है कि एक करदाता एक गत वर्ष में निवासी है तो वह दूसरे गत वर्ष में भी निवासी ही होगा। वह एक गत वर्ष में साधारण निवासी हो सकता है और किसी अन्य गत वर्ष में असाधारण निवासी तथा अन्य किसी गत वर्ष में अनिवासी भी हो सकता है, किन्तु यह निश्चित है कि एक गत वर्ष में वह किसी न किसी एक श्रेणी में अवश्य ही

होगा। एक व्यक्ति एक ही वर्ष में एक से अधिक दशा का निवासा हो सकता है तथा उसी वर्ष में एक देश में निवासी तथा दूसरे देश में अनिवासी हो सकता है। किन्तु एक गत वर्ष में एक ही देश में एक व्यक्ति की दो निवासीय स्थितियाँ नहीं हो सकती हैं।

आय के भिन्न-भिन्न स्रोत एवं निवास-स्थान

[धारा 6(5)]

यदि किसी व्यक्ति की अनेक स्रोतों से आय है तो प्रत्येक स्रोत के लिए एक गत वर्ष में निवासीय स्थिति एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं। उदाहरण के लिए, रमेश अपनी आय के किसी एक स्रोत के लिए किसी गत वर्ष में निवासी है तो वह अपनी आय के अन्य स्रोतों के लिए भी उस गत वर्ष में निवासी ही माना जायेगा।

निवास-स्थान सिद्ध करने का दायित्व—करदाता को आय-कर अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित तथ्यों को प्रस्तुत करके वह साबित करना होगा कि वह अमुक कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में निवासी है या असाधारण निवासी या अनिवासी।

एक व्यक्ति का निवास-स्थान निर्धारित करने वाली शर्तें

[धारा 6(1)]

(CONDITIONS DETERMINING RESIDENCE OF AN INDIVIDUAL)

व्यक्ति (Individual)

(a) निवासी (Resident)	(b) अनिवासी (Non-resident)
(i) साधारण निवासी (Ordinarily Resident)	(ii) असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)

व्यक्ति (individual) करदाता के अन्तर्गत वे करदाता सम्मिलित होते हैं जिन्हें किसी नाम विशेष से सम्बोधित किया जाता है, जैसे, अजय, सावित्री, रहमान आदि। आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति करदाता का किसी गत वर्ष में भारत में निवास-स्थान (निवासीय स्थिति) निर्धारित करने हेतु दो प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया गया है। प्रथम प्रकार की शर्तों को श्रेणी 'अ' (Category 'A') तथा द्वितीय प्रकार की शर्तों को श्रेणी 'ब' (Category 'B') में रखा जाता है। श्रेणी 'अ' की शर्तें व्यक्ति के निवासी होने से सम्बन्धित हैं जबकि श्रेणी 'ब' की शर्तें उस व्यक्ति के असाधारण निवासी होने का निर्धारण करती हैं। श्रेणी 'अ' तथा श्रेणी 'ब' दोनों में दो-दो शर्तों का उल्लेख है। इन दोनों श्रेणियों से सम्बन्धित शर्तें निम्नलिखित हैं :

निवासी होने की शर्तें (श्रेणी 'अ' की शर्तें)—एक व्यक्ति भारत में किसी गत वर्ष में निवासी तभी माना जायेगा जब वह निम्नलिखित दो शर्तों में से कम से कम एक शर्त की पूर्ति करता है। श्रेणी 'अ' की ये दो शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, अथवा

(2) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा उस गत वर्ष में भी कुल मिलाकर कम से कम 60 दिन (कुछ अपवादों की दशा में 182 दिन) भारत में रहा हो।

उपर्युक्त शर्त (2) का अपवाद (Exception)—निम्नलिखित दशाओं में उपर्युक्त शर्त (2) में गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन रहने का नियम लागू होगा :

(क) एक भारतीय नागरिक गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है अथवा किसी भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर जाता है तो उसे निवासी होने के लिए उस गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है।

(ख) यदि करदाता भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है एवं विदेश में रह रहा है, गत वर्ष में किसी भी कार्य से भारत भ्रमण पर आता है तो उसे निवासी होने के लिए गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण—(1) सम्बन्धित गत वर्ष का आशय उस गत वर्ष से है जिसके लिए करदाता का निवास-स्थान निर्धारित किया जा रहा है।

(2) उपर्युक्त शर्त (2) (क) व (ख) में वर्णित अपवादों की दशा में एक व्यक्ति को श्रेणी 'अ' में वर्णित केवल शर्त (1) ही पूरी करना पर्याप्त है। शर्त (2) महत्वहीन होगी क्योंकि गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहने से शर्त (1) की पूर्ति हो जाती है।

(3) रोजगार का आशय (Meaning of Employment)—आय-कर अधिनियम में 'रोजगार' शब्द को परिभासित नहीं किया गया है। एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने आपको किसी भी कार्य में नियोजित कर सकता है। जैसे उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पूरी तरह से (independently) किसी प्रैक्टिस में लगाना अथवा व्यवसायी द्वारा अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को विदेश में ले जाना (Shift)।

(4) यदि कोई व्यक्ति रोजगार के तलाशने हेतु भारत छोड़ता है तो उपर्युक्त अपवाद (क) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति का भारत में रोजगार है और वह उस रोजगार के सम्बन्ध में विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे उपर्युक्त अपवाद (क) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।¹ अपवाद की शर्त उस दशा में लागू होगी जब करदाता नये रोजगार हेतु विदेश जाता है।

(6) जो व्यक्ति रोजगार करने हेतु भारत छोड़ रहा है, वह बेरोजगार तथा रोजगार करता हुआ भी हो सकता है।

(7) यदि प्रश्न में मात्र यह लिखा गया है कि व्यक्ति रोजगार के उद्देश्य से विदेश गया है तो यह माना जायेगा कि व्यक्ति की नियुक्ति किसी रोजगार हेतु विदेश में हो गयी है अथवा उसका व्यवसाय स्थापित हो गया है।

(8) वाक्यांश 'भारतीय मूल के व्यक्ति' का आशय आय-कर अधिनियम की धारा 115C(e) के अनुसार उस व्यक्ति से होता है जिसके माता-पिता (Parents), दादा-दादी (Grand-parents) या नाना-नानी (Paternal parents) में से कोई भी एक या वह स्वयं अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।

(9) भारत भ्रमण पर आना—वाक्यांश 'भारत भ्रमण पर आने' का आशय है कि व्यक्ति भारत में किसी भी कार्य से आ सकता है। जैसे, व्यापार के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए अथवा अन्य किसी व्यक्तिगत कार्य के लिये भारत आना।

(10) भारत भ्रमण पर आने का उद्देश्य—भारत भ्रमण पर किसी भी कार्य हेतु व्यक्ति अस्थायी रूप से भारत में आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के सम्बन्ध में भारत में भ्रमण हेतु आता है और वह भारत में स्थायी रूप से बस जाता है तो उसे उपर्युक्त अपवाद (ख) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

व्यक्ति का साधारण निवासी होना—जब एक व्यक्ति श्रेणी 'अ' की शर्तों के अन्तर्गत निवासी की श्रेणी में आ जाता है तो फिर तुरन्त ही यह तय करना होगा कि वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी। इसके लिये आय-कर अधिनियम में दी गई असाधारण निवासी की शर्तों अर्थात् श्रेणी 'ब' की शर्तों का अध्ययन करना होगा। यदि वह निवासी व्यक्ति श्रेणी 'ब' में दी गई दो शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा कर देता है तो उसे असाधारण निवासी कहा जायेगा। श्रेणी 'ब' की एक भी शर्त को पूरा न करने पर उस निवासी व्यक्ति को ही साधारण निवासी कहेंगे। ऐसी स्थिति में निवासी एवं साधारण निवासी में कोई भी अन्तर नहीं होगा।

असाधारण निवासी होने की शर्तें² (श्रेणी 'ब' की शर्तें)—एक व्यक्ति (जिसने निवासी की श्रेणी 'अ' की दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी की हो) गत वर्ष में असाधारण निवासी होगा, यदि—

(1) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो, अर्थात् उसने 10 वर्षों में से 9 वर्ष श्रेणी 'अ' की शर्तों में से एक भी शर्त की पूर्ति नहीं की हो, अथवा

(2) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

छात्र कृपया विशेष ध्यान दें

1. आय-कर अधिनियम में व्यक्ति के साधारण निवासी होने से सम्बन्धित कहीं भी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है। अधिनियम में तो केवल असाधारण निवासी होने की शर्तों का ही उल्लेख है जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी 'ब' की शर्तों के अन्तर्गत बिन्दु नं. (1) तथा (2) में बताया गया है। इन शर्तों के पूरा न होने पर व्यक्ति असाधारण निवासी की श्रेणी में नहीं आता तो उस व्यक्ति को ही दूसरे शब्दों में साधारण निवासी कहते हैं।

2. यदि किसी व्यक्ति का निवास-स्थान का निर्धारण उपरोक्त श्रेणी 'ब' की शर्तों के आधार पर न करना चाहें तो फिर इनके स्थान पर दूसरी वैकल्पिक शर्तों का प्रयोग करके निवास-स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। ये वैकल्पिक शर्तें साधारण निवासी के निर्धारण से सम्बन्धित हैं तथा इन्हें समझने की दृष्टि से श्रेणी 'अ' की अतिरिक्त शर्तें भी कहा जा सकता है। इन शर्तों का उल्लेख इसी चार्ट के ठीक नीचे किया गया है।

3. विद्यार्थी दोनों में से किसी भी तरीके से अपनी सुविधानुसार व्यक्ति का निवास-स्थान निर्धारित कर सकते हैं। साधारण निवासी का निर्धारण श्रेणी 'अ' की अतिरिक्त शर्तों के आधार पर किया जाय अथवा श्रेणी 'ब' की असाधारण निवासी की शर्तों के आधार पर—दोनों से उत्तर एक ही आयेगा।

वैकल्पिक शर्तें या श्रेणी 'अ' की अतिरिक्त शर्तें

(ALTERNATIVE CONDITIONS OR ADDITIONAL CONDITIONS OF CATEGORY 'A')

एक व्यक्ति करदाता को किसी गत वर्ष में साधारण निवासी होने के लिये श्रेणी 'अ' में वर्णित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने के साथ-साथ श्रेणी 'अ' की दोनों अतिरिक्त शर्तें (वैकल्पिक शर्तें) भी पूरी करनी होंगी। ये अतिरिक्त शर्तें या वैकल्पिक शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो। अर्थात् उसने श्रेणी 'अ' में वर्णित शर्तों में से कम से कम 2 वर्ष तक कोई भी एक शर्त को पूरा किया हो, तथा

(2) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो।

यदि कोई व्यक्ति श्रेणी 'अ' की उपर्युक्त अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक ही शर्त पूरी करता है तो इसका कोई महत्व नहीं है। उसे दोनों ही शर्तें पूरी करनी होंगी तभी वह साधारण निवासी कहलायेगा। केवल एक शर्त को पूरी करने पर यही माना जायेगा कि उसने एक भी शर्त को पूरा नहीं किया है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति असाधारण निवासी ही रहेगा।

व्यक्ति का भारत में अनिवासी (Non-resident in India) होना—एक व्यक्ति भारत में गत वर्ष में अनिवासी तभी माना जायेगा, जबकि वह व्यक्ति निवासी की श्रेणी 'अ' में वर्णित दोनों शर्तों में से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता है। इस अनिवासी व्यक्ति के लिए श्रेणी 'ब' की दोनों शर्तें व्यर्थ हैं।

निवास-स्थान सम्बन्धी शर्तें—एक दृष्टि में

श्रेणी 'अ' की शर्तें—एक दृष्टि में

एक भारतीय नागरिक की दशा में जो गत वर्ष में रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है। (1)	एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में जो विदेश में है और गत वर्ष में किसी भी कार्य से भारत आता है। (2)	एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कॉलम (1) तथा (2) में नहीं आता है। (3)
शर्त नं. (1) : गत वर्ष में एक व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहे। शर्त नं. (2) : इस कॉलम में आने वाले व्यक्तियों के लिए यह शर्त व्यावहारिक नहीं है।	शर्त नं. (1) : गत वर्ष में एक व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहे। शर्त नं. (2) : इस कॉलम में आने वाले व्यक्तियों के लिए यह शर्त व्यावहारिक नहीं है।	शर्त नं. (1) : गत वर्ष में एक व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहे। अथवा शर्त नं. (2) : गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहे तथा गत वर्ष में भी वह व्यक्ति कम से कम 60 दिन रहे।

श्रेणी 'अ' की अतिरिक्त शर्तें—एक दृष्टि में

- (1) वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, तथा
(2) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर भारत में कम से कम 730 दिन या अधिक रहा हो।

- (1) वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्षों तक भारत में अनिवासी रहे अर्थात् 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्षों में वह श्रेणी 'अ' की शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा न करे, अथवा
- (2) व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में भारत में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम रहे।

स्पष्टीकरण—(1) एक व्यक्ति निवासी की श्रेणी में आ जाता है तो फिर यह निर्धारण करना आवश्यक है कि वह व्यक्ति साधारण निवासी है या असाधारण निवासी।

(2) एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में अनिवासी की श्रेणी में आ जाता है तो उस गत वर्ष में वह व्यक्ति साधारण निवासी अथवा असाधारण निवासी की श्रेणी में नहीं आ सकता।

(3) निवास-स्थान के निर्धारण करने से सम्बन्धित शर्तों के पालन करने हेतु व्यक्ति की भारत में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है।

(4) श्रेणी 'अ' में वर्णित शर्त के अनुसार एक व्यक्ति को गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहना आवश्यक है। अगर व्यक्ति बीच-बीच में विदेश जाता है और फिर वापस भारत आता है और कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी एक माह रुकता है तो इन रुकने वाले समस्त दिनों का योग 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए।

(5) एक दिन के किसी भाग में रहना—एक दिन का तात्पर्य 24 घण्टे से है। यदि करदाता इसके किसी भाग; जैसे, 8 घण्टे या 10 घण्टे के लिए रहा हो तो इन समस्त घण्टों को जोड़ लिया जायेगा, यदि कुल घण्टों का योग 24 है तो इसे एक दिन माना जायेगा। 12 घण्टे रहने की अवधि आधे दिन की उपस्थिति मानी जायेगी। जैसे, एक व्यक्ति एक गत वर्ष में तीन बार भारत आता है—प्रथम बार 80 दिन 6 घण्टे के लिए, दूसरी बार 20 दिन 6 घण्टे के लिए तथा तीसरी बार मात्र 4 घण्टे के लिए। इस स्थिति में माना जायेगा कि वह उस गत वर्ष में कुल मिलाकर भारत में 101 दिन रुका।

(6) वाक्यांश 'रहने से आशय' का तात्पर्य है भारत में किसी भी स्थान पर रहना। भारत में एक ही स्थान पर ठहरना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति कुछ दिन होटल में, कुछ दिन धर्मशाला में भी रह सकता है। वह व्यक्ति निवास-गृह व शहर भी बदल सकता है। जैसे, कुछ दिन कानपुर में, कुछ दिन गुवाहाटी या कोलकाता में रुकना।

(7) भारतीय नागरिकों (जो विदेश जाते हैं) को छूट—श्रेणी 'अ' में वर्णित शर्त (2) में भारतीय नागरिकों को, जो रोजगार हेतु गत वर्ष में विदेश गये हों, पर्याप्त छूट दी गई है। यदि वे गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर मात्र 181 दिन तक ही रहे हों तब भी अनिवासी ही माने जायेंगे। एक निवासी की तुलना में अनिवासी का कर-दायित्व कम होता है। (कर-दायित्व का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।)

(8) दोनों दिनों का शामिल होना—यदि प्रश्न में व्यक्ति के भारत में आने व भारत से बाहर जाने का समय नहीं दिया गया है तो उसके द्वारा भारत में रहने के कुल दिनों की गणना करने के लिए उसके भारत में आने तथा भारत से जाने वाले दोनों दिनों को शामिल किया जायेगा।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान (RESIDENCE OF A HINDU UNDIVIDED FAMILY)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दिये गये नियमों का अध्ययन आवश्यक है :

भारत में निवासी परिवार (1)	भारत में असाधारण निवासी परिवार (2)	भारत में अनिवासी परिवार (3)
<p>शर्तें—एक हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी तभी माना जायेगा, जबकि वह निम्नलिखित शर्त की पूर्ति करेगा : गत वर्ष में इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो एवं कर्ता या प्रबन्धक गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी एवं 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।</p>	<p>एक हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में गत वर्ष में असाधारण निवासी माना जायेगा, यदि—</p> <p>(1) उस परिवार का कर्ता भारत में गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष अनिवासी के रूप में रहा हो, एवं</p> <p>(2) उस परिवार का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा है।</p>	<p>शर्तें—एक हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में अनिवासी माना जाता है यदि उसका सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत के बाहर स्थित है अर्थात् परिवार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत में बिल्कुल भी स्थित नहीं है।</p>

स्पष्टीकरण—(1) यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी की श्रेणी में आ जाता है तो फिर यह निर्धारण करना आवश्यक है कि परिवार साधारण निवासी है या असाधारण निवासी।

(2) कोई हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु परिवार के कर्ता की निवासीय स्थिति नहीं देखी जाती है। मात्र यही देखना पर्याप्त होगा कि उस परिवार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित है या नहीं। फिर इसके बाद यह निर्धारण करने के लिए कि ऐसा निवासी परिवार साधारण निवासी है या असाधारण निवासी, वे सभी शर्तें देखी जायेंगी जो एक व्यक्ति के साधारण या असाधारण निवासी निर्धारित करने के लिए देखी जाती हैं।

(3) यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी की श्रेणी में आ जाता है किन्तु श्रेणी 'ब' में वर्णित असाधारण निवासी की शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उस निवासी परिवार को ही साधारण निवासी परिवार कहेंगे। किसी भी एक शर्त को पूरा करता है तो उस निवासी परिवार को असाधारण निवासी परिवार कहेंगे (देखिये—व्यक्ति के निवास-स्थान का निर्धारण)।

(4) यह निर्धारण करने के लिए कि हिन्दू अविभाजित परिवार साधारण निवासी है या असाधारण निवासी, इसके लिए व्यक्ति के निवास-स्थान निर्धारण में बताई गई श्रेणी 'ब' की शर्तों के स्थान पर वैकल्पिक शर्तों (जिन्हें श्रेणी 'अ' की अतिरिक्त शर्तों के नाम से भी जाना जाता है) के आधार भी निर्धारण किया जा सकता है।

(5) वाक्यांश 'नियन्त्रण एवं प्रबन्ध' का आशय है जिस स्थान पर व्यापार को संचालित करने की नीति बनाई जाती है तथा प्रबन्ध व्यवस्था, वित्त तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित निर्देश दिये जाते हैं, उसी स्थान से उस व्यापार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध होना माना जाता है।

फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का निवास-स्थान

(RESIDENCE OF A FIRM AND AN ASSOCIATION OF PERSONS)

भारत में निवासी (Resident in India)—एक फर्म या व्यक्तियों का समूह भारत में निवासी होता है यदि इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (पूर्ण अथवा आंशिक) भारत में स्थित है। इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि साझेदारों का निवास स्थान कौन-सा है।

भारत में अनिवासी (Non-resident in India)—जब एक फर्म एवं व्यक्तियों के संघ का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध गत वर्ष में पूरी तरह भारत के बाहर से होता है तब उसे अनिवासी की श्रेणी में माना जायेगा।

स्पष्टीकरण—(1) एक फर्म तथा व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में साधारण या असाधारण निवासी नहीं होते हैं।

(2) एक फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास-स्थान निर्धारित करते समय साझेदारों या व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों का निवास-स्थान निर्धारित करने का कोई महत्व नहीं है।

(3) नियन्त्रण एवं प्रबन्ध आमतौर पर ऐसे स्थान पर स्थापित होता है जहाँ प्रधान (Head) स्थान (Seat) तथा निर्णय लेने वाली शक्ति (Directing Power) स्थित होती है।

कम्पनी का निवास-स्थान

[धारा 6(3)]

(RESIDENCE OF COMPANY)

भारत में निवासी (Resident in India)—एक कम्पनी गत वर्ष में निवासी समझी जाती है यदि इसने निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त पूरी की हो :

- (1) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा
- (2) यदि कम्पनी विदेशी है तो गत वर्ष में उस विदेशी कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान (Place of Effective Management—POEM) भारत में रहा हो।¹

भारत में अनिवासी (Non-resident in India)—गत वर्ष में एक कम्पनी अनिवासी होती है, यदि—

(1) वह एक भारतीय कम्पनी नहीं है, अथवा

(2) विदेशी कम्पनी की दशा में उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित है।

स्पष्टीकरण—(1) एक कम्पनी भारत में साधारण निवासी या असाधारण निवासी नहीं होती है।

(2) भारत में समामेलित प्रत्येक कम्पनी भारतीय कम्पनी एवं निवासी मानी जायेगी।

(3) कम्पनी के निवास-स्थान का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि क्रय-विक्रय कहाँ होता है।

(4) कम्पनी की समस्त व्यापारिक क्रियाएँ भारत के बाहर होने पर भी कम्पनी निवासी हो सकती है।

(5) **प्रभावी प्रबन्ध के स्थान (POEM)** का आशय है कि ऐसा स्थान जहाँ प्रमुख प्रबन्ध व व्यवसाय सम्बन्धी

निर्णय जो व्यावसायिक संस्था को संचालित करने में आवश्यक है, लिये जाते हैं।

(6) यदि कम्पनी के कुछ संचालक भारत के बाहर हैं और वहीं से निर्देश देते हैं तो यह समझा जायेगा कि कम्पनी का आंशिक प्रबन्ध भारत में है तथा आंशिक भारत के बाहर।

(7) भारत के बाहर समामेलित कम्पनी भारत में निवासी तभी मानी जायेगी, जबकि उसका प्रबन्ध पूर्णतया भारत में होता है।

प्रत्येक अन्य व्यक्ति का निवास-स्थान

(RESIDENCE OF EVERY OTHER PERSON)

[धारा 6(4)]

प्रत्येक अन्य व्यक्ति में स्थानीय सत्ता, कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम आदि शामिल होते हैं। ये भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। ये निवासी अथवा अनिवासी होते हैं। इनके निवास-स्थान के निर्धारण में वही सब नियम लागू होते हैं जो एक फर्म तथा व्यक्तियों के समूह के निवास-स्थान के निर्धारण में लागू होते हैं।

कर-दायित्व अथवा कुल आय का क्षेत्र

(TAX LIABILITY OR SCOPE OF TOTAL INCOME)

निवासीय स्थिति एवं कर-दायित्व में सम्बन्ध

कर-दायित्व, कुल आय का क्षेत्र अथवा कर-भार (Incidence of tax) ये तीनों शब्द अन्तर्पर्यायवाची हैं। यहाँ पर कर-दायित्व का आशय करदाता के आय-कर दायित्व की राशि की गणना करने से नहीं है, बल्कि सकल कुल आय की गणना से है। कुल आय के क्षेत्र का आशय भी यहाँ पर सकल कुल आय से है। एक करदाता अनेक स्रोतों एवं स्थानों से आय को प्राप्त या उपार्जित कर सकता है। कुछ आयें भारत के अन्दर तथा कुछ भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित होती हैं। इनमें से कौन-कौनसी आयों को कर-योग्य माना जायेगा, यह बात उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। भिन्न-भिन्न श्रेणियों के निवासियों का कर-दायित्व भिन्न-भिन्न होता है।

एक करदाता का उसके निवास-स्थान के आधार पर कर-दायित्व निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :

(अ) **निवासी या साधारण निवासी की दशा में कर-दायित्व** (Tax Liability in case of Resident or

Ordinarily Resident) [धारा 5(1)]—एक निवासी करदाता द्वारा गत वर्ष में समस्त साधनों से कमाई गई आयों में से उसकी कुल आय में निम्नलिखित आयें सम्मिलित की जाती हैं :

(i) गत वर्ष में करदाता को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई आय—जैसे कानपुर

(भारत) में स्थापित किसी व्यापार के लाभ।

(ii) गत वर्ष में करदाता को भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय—जैसे किसी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश की राशि उसी गत वर्ष में प्राप्त की हुई आय समझी जायेगी जिस वर्ष में कम्पनी ने लाभांश घोषित किया है।

(iii) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय—ऐसी आयों की प्राप्ति किसी भी स्थान पर हुई हो, जैसे, भारत में की गई सेवा का वेतन विदेश में मिलना। इस वेतन को भारत में ही उपार्जित मानेंगे।

(iv) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गई आय—ऐसी आयों की प्राप्ति किसी भी स्थान पर हुई हो, जैसे, किसी भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर देय लाभांश।

(v) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय—जैसे विदेशी मकान-सम्पत्ति का कियाया।

(ब) **असाधारण निवासी की दशा में कर-दायित्व** (Tax Liability in case of Not Ordinarily Resident)—एक असाधारण निवासी की अग्रलिखित आयें उसकी कुल आय में शामिल की जाती हैं :

- (i) गत वर्ष में करदाता को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय,
(ii) गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई या उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गई आय,
(iii) गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई ऐसे व्यापार से आय जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो अथवा जो किसी ऐसे पेशे से सम्बन्धित हो जिसे भारत में स्थापित किया गया हो।

(स) **अनिवासी की दशा में कर-दायित्व** (Tax Liability in case of Non-resident)—एक अनिवासी करदाता द्वारा किसी गत वर्ष में कमाई गई निम्नलिखित आयें उसकी कुल आय में शामिल की जाती है :

- (i) अनिवासी करदाता को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय,
(ii) गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई या उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गई आय।

स्पष्टीकरण—(1) एक निवासी या असाधारण निवासी या अनिवासी करदाता की गत वर्ष में भारत में प्राप्त या उपार्जित प्रत्येक प्रकार की आय उसकी कुल आय में शामिल की जाती है चाहे उस आय का सम्बन्ध भारत से हो या विदेश से, किन्तु शर्त यह है कि यह आय आय-कर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर-मुक्त न हो।

(2) एक असाधारण निवासी करदाता की कुल आय में विदेशी आय तभी शामिल की जायेगी, जबकि वह ऐसे व्यापार से प्राप्त हो जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो।

(3) एक अनिवासी करदाता की कुल आय में विदेश में उपार्जित एवं प्राप्त आय कभी भी शामिल नहीं की जायेगी।

(4) यदि किसी आय के भारत में प्राप्त होने अथवा उपार्जित होने सम्बन्धी दोनों में से एक भी कार्य भारत में हो जाता है तो वह आय सभी करदाताओं (निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी) की कुल आय में शामिल की जायेगी।

(5) गत वर्ष से पूर्व की कर न लगी हुई विदेशी आय, जिसे गत वर्ष में भारत लाया जाता है, करदाता की गत वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं की जाती है।

कर-दायित्व का संक्षिप्त चार्ट

क्र. सं.	आय का विवरण	निवासी अथवा साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1.	करदाता की गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय जो प्राप्त किसी भी स्थान पर (भारत में या भारत के बाहर) हुई हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
2.	करदाता की गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय जो किसी भी स्थान पर (भारत में या भारत के बाहर) उपार्जित या उदय हुई हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
3.	ऐसी आय जो करदाता को गत वर्ष में भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित या उदय हुई हो जो भारत से नियन्त्रित होता है या भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित या उदय हुई हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	नहीं
4.	ऐसी आय जो करदाता को गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो।	कर-योग्य	नहीं	नहीं
5.	पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त अथवा उपार्जित कोई ऐसी आय जिसे गत वर्ष में भारत लाया गया हो।	नहीं	नहीं	नहीं

महत्वपूर्ण वाक्यांशों का स्पष्टीकरण (EXPLANATION OF IMPORTANT CLAUSES)

भारत में प्राप्त की गई आय (Income received in India)

कर-दायित्व सम्बन्धी नियमों में ‘भारत में प्राप्त की गई आय’ वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। इसका आशय है कि आय सर्वप्रथम भारत में प्राप्त हुई हो। प्राप्ति से तात्पर्य प्रथम बार प्राप्ति से होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि भारत में आय का प्राप्त होना तथा भारत में आय को भेजना या भारत के बाहर आय को प्राप्त

करना और बाद में उसे अपने साथ भारत लाना, इन सभी में कर-दायित्व की दृष्टि से बहुत अन्तर है। विद्यार्थियों को प्रश्न हल करते समय यह अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है—आय भारत में प्राप्त की गई या आय भारत में भेजी गई है। इन शब्दों के लिखने से असाधारण निवासी व अनिवासी का कर-दायित्व बदल जायेगा।

यदि कोई आय विदेश में प्राप्त होती है और बाद में वह भारत भेज दी जाती है तो इसे भारत में प्राप्त हुआ नहीं माना जायेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक अनिवासी व्यक्ति हाँगकाँग में ₹ 50,000 किराये की आय प्राप्त करता है और बाद में वह उसे भारत भेज देता है या अपने साथ भारत ले आता है, तो यह रकम भारत में कर-योग्य नहीं होगी क्योंकि यह रकम न तो भारत में प्राप्त की गई है और न भारत में उपार्जित हुई है।

आय की प्राप्ति नकद अथवा वस्तु के रूप में हो सकती है। यदि प्राप्ति वस्तु के रूप में होती है तो प्राप्ति के दिन उस वस्तु का बाजार मूल्य नकद मूल्य माना जाता है और इस मूल्य को आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करदाता की कर-योग्य आय में जोड़ा जाता है। भारत में इस आय की प्राप्ति करदाता को स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेण्ट को भी हो सकती है। अधिकृत एजेण्ट द्वारा प्राप्त आय को भी करदाता द्वारा ही प्राप्त किया हुआ माना जाता है। खातों में समायोजन करना भी करदाता द्वारा वास्तविक प्राप्ति माना जाता है।

भारत में प्राप्त की हुई समझी गई आय (Income deemed to be received in India)

वाक्यांश ‘भारत में प्राप्त की हुई समझी गई आय’ का आशय यह है कि आय वास्तव में करदाता को प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आय-कर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक नौकरी करने वाले कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि खाते में नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान एवं फण्ड की राशि पर गर्णित ब्याज की राशि से फण्ड की राशि में वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion)। हालांकि यह वार्षिक वृद्धि करदाता को गत वर्ष में प्राप्त नहीं होती, किन्तु इसे करदाता द्वारा प्राप्त हुआ मान लिया जाता है और कुल आय में शामिल किया जाता है।

भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय (Income accrued or arisen in India)

आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी करदाता द्वारा केवल प्राप्त आय पर ही आय-कर नहीं लगता है अपितु उसके द्वारा उपार्जित (अर्जित) आय पर भी कर लगाया जाता है। आय का उपार्जन, अर्जन अथवा उदय होने का आशय उस स्थिति में माना जाता है जब कोई करदाता आय प्राप्त करने का अधिकार तो प्राप्त कर लेता है, किन्तु आय की वास्तविक प्राप्ति उसे उस गत वर्ष के बाद में होती है। आय की ऐसी प्राप्ति यदि गत वर्ष के बाद भी होती है तो भी आय का उपार्जन या उदय होना उसी सम्बन्धित गत वर्ष में माना जायेगा। आय के उपार्जित होने में यह बात महत्वहीन है कि आय कहाँ प्राप्त हुई थी। आय के उपार्जित या उदय होने दोनों शब्दों में अन्तर है, किन्तु आय-कर के दृष्टिकोण से कोई भी अन्तर नहीं माना जाता है।

आय का उपार्जित होना उस स्थान पर माना जाता है जहाँ माल का विक्रय किया जाता है। इसका विक्रय के लेन-देन के नियन्त्रण व निर्देशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे, यदि माल भारत के बाहर से खरीदकर भारत में बेचा जाता है तो सम्पूर्ण आय भारत में उपार्जित होगी। यदि माल के विक्रय के लेन-देन का नियन्त्रण भारत से किया जाता है, किन्तु विक्री भारत के बाहर ही की जाती है तो आय का उपार्जन भारत के बाहर होगा।

भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गई आय (Income deemed to accrue or arise in India)

कुछ आयें ऐसी होती हैं जो भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं होतीं, किन्तु आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें भारत में उपार्जित अथवा उदय हुआ मान लिया जाता है। ये आयें निम्नलिखित हैं :

(1) निम्नलिखित माध्यमों से उत्पन्न आय को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में उपार्जित या उदय हुई आय समझा जाता है :

(क) वे समस्त आयें जो किसी व्यावसायिक सम्बन्ध के माध्यम से उपार्जित अथवा उदय हुई हों—आय-कर अधिनियम में ‘व्यावसायिक सम्बन्ध’ शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यदि कोई अनिवासी भारत में ऐसी क्रियाएँ करता है जिससे लाभ या प्राप्तियाँ होती हैं तो ये क्रियाएँ व्यावसायिक सम्बन्ध के अन्तर्गत आती हैं। जैसे, माल के क्रय-विक्रय के लिए भारत में किसी शाखा कार्यालय अथवा एजेन्सी की स्थापना।

(ख) भारत में किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से आय—एक अनिवासी करदाता भारत में स्थित मशीन का किराया भारत के बाहर प्राप्त करता है तो इसे भारत में ही उपार्जित या उदय हुआ समझा जायेगा।

[धारा 9(1)]

(ग) आय के स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय—एक कम्पनी द्वारा भारत में किये जा रहे व्यापार से कमाये लाभों में से अनिवासी लाभांश प्राप्त करता है तो उसे भारत में ही उपार्जित आय मानेंगे।

(घ) भारत में स्थित पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ—

(i) चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियाँ हस्तान्तरण के समय भारत में स्थित होनी चाहिए।

(ii) सम्पत्ति की बिक्री का अनुबन्ध या विक्रय मूल्य का भुगतान किसी भी स्थान पर हो सकता है।

उपर्युक्त न. (1) के अपवाद—निम्नलिखित दशाओं में आय का उपार्जन भारत में नहीं माना जाता है :

(अ) यदि कोई अनिवासी करदाता भारत में वस्तुएँ निर्यात करने के उद्देश्य से खरीदता है और इस क्रिया से उसे कुछ आय प्राप्त होती है तो इसे भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं माना जायेगा।

(ब) एक ऐसा अनिवासी करदाता, जो समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के प्रकाशन कार्य में संलग्न है अथवा जो एजेन्सी के व्यापार में संलग्न है, भारत में समाचारों का संग्रह करके विदेश भेजता है और इस क्रिया के फलस्वरूप उसे आय प्राप्त होती है तो वह भारत में उपार्जित नहीं मानी जायेगी।

(स) कोई अनिवासी व गैर-नागरिक करदाता (व्यक्ति, फर्म अथवा इसका कोई साझेदार, कम्पनी अथवा इसका कोई अंशधारी) भारत में फिल्म की शूटिंग से कोई आय प्राप्त करता है तो उसे भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई नहीं माना जायेगा।

(2) भारत में की गई सेवाओं के लिए वेतन—इसकी प्राप्ति भारत में हो या विदेश में।

(3) लाभों का विभाजन—किसी व्यापार से सम्बन्धित जो कार्य भारत में सम्पन्न किये जाते हैं उनसे सम्बन्धित आय का उपार्जन भारत में माना जायेगा। यदि माल की निर्माणी प्रक्रिया भारत के बाहर हुई है और उसका विक्रय भारत में, तो ऐसी स्थिति में विक्रय से सम्बन्धित लाभ का भाग ही भारत में उपार्जित माना जायेगा।

(4) भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सरकारी नौकरी करने पर विदेश में दिया जाने वाला वेतन—विदेश में प्रदत्त सेवाएँ जिनके बदले में वेतन सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को विदेश में दिया जाता है तो उसे भारत में ही उपार्जित माना जाता है और सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कर-योग्य होता है। किन्तु विदेश में भुगतान किये गये अनुलाभ एवं भत्ते कर-योग्य नहीं होते हैं।

(5) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश—भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर घोषित तथा भारत के बाहर देय लाभांश भारत में उपार्जित हुआ माना जायेगा। धारा 10(33) के अन्तर्गत यह लाभांश प्राप्तकर्ता के लिए कर-मुक्त है।

(6) ब्याज की आय [धारा 9(1)(v)]—ब्याज की आय को भारत में उपार्जित माने जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

(i) ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा देय होना चाहिए, अथवा

(ii) यदि किसी ऋण पर ब्याज निवासी या अनिवासी द्वारा देय है तो इस ब्याज की आय को भारत में उपार्जित तभी मानेंगे, जबकि इस ऋण का उपयोग भारत में चल रहे किसी व्यापार अथवा पेशे में किया जा रहा हो।

(7) अधिकार-शुल्क (Royalty) की आय [धारा 9(1)(vi)]—अधिकार-शुल्क की आय को भारत में उपार्जित माने जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

(i) इस अधिकार-शुल्क की आय का भुगतान सरकार द्वारा देय होना चाहिए, अथवा

(ii) यदि इसका भुगतान निवासी अथवा अनिवासी करदाता द्वारा देय है तो सम्पत्ति या अन्य कोई अधिकार, जिसके सम्बन्ध में अधिकार-शुल्क देय है, का प्रयोग भारत में चल रहे व्यापार अथवा पेशे में हो रहा हो।

(8) तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में फीस [धारा 9(1)(vii)]—इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

(i) इस फीस की आय का भुगतान सरकार द्वारा देय होना चाहिए, अथवा

(ii) यदि फीस की आय का भुगतान निवासी अथवा अनिवासी करदाता द्वारा देय होता है तो इसे भारत में उपार्जित तभी समझा जायेगा, जबकि इस तकनीकी सेवा का उपयोग ऐसे व्यापार अथवा पेशे में किया जा रहा हो जो भारत में चल रहा हो अथवा भारत में आय कमाने के किसी अन्य स्रोत में हो रहा हो।

(9) विदेशी बैंक के द्वारा जिसकी शाखा भारत में है उससे विदेश में प्राप्त ब्याज प्राप्तकर्ता के हाथों में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय समझी जायेगी।

Example 14

मि. गौतम, जिनके पास ईराक की राष्ट्रीयता है, ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में तकनीकी सेवाओं को देने के लिए अनिवासी शुल्क निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया :

(अ)	भारत सरकार से प्राप्त	₹ 2,50,000
(ब)	ईराक सरकार से प्राप्त	₹ 7,00,000
(स)	भारत के निवासी मि. 'पी' से प्राप्त (सेवाओं का उपयोग भारत में आय अर्जन हेतु किया गया)	₹ 1,00,000
(द)	भारत में अनिवासी मि. 'सी' से प्राप्त (सेवाएँ भारत में चल रहे व्यवसाय के लिए दी गयी)	₹ 1,75,000
(ए)	भारत में निवासी मि. 'टी' से प्राप्त (सेवाओं का उपयोग भारत के बाहर आय अर्जन हेतु किया गया)	₹ 2,00,000

आप मि. गौतम की कुल आय की गणना कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित दशाओं में कीजिए :

- (अ) यह मानते हुए कि मि. गौतम 10 जुलाई, 2018 को भारत आये और 31 जनवरी, 2019 तक रुके।
- (ब) यह मानते हुए कि मि. गौतम भारत में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2018-19 में आये और 180 दिन रुके।

Mr. Gautam, a National of Iraq received the following fees for technical services during financial year 2018-19 :

(a)	Received from Government of India	₹ 2,50,000
(b)	Received from Government of Iraq	₹ 7,00,000
(c)	Received from Mr. 'P' a resident of India (Services have been utilized for earning income in India)	₹ 1,00,000
(d)	Received from Mr. 'C' a non-resident in India (Services have been utilized for a business carried on in India)	₹ 1,75,000
(e)	Received from Mr. 'T' a resident of India (Services have been utilized for earning income outside India)	₹ 2,00,000

Compute the taxable income of Mr. Gautam for the assessment year 2019-20 in the following cases :

- (a) assuming Mr. Gautam came to India on 10th July, 2018 and stayed upto 31st January, 2019.
- (b) assuming Mr. Gautam has come for the first time in India during the financial year 2018-19 and stayed for 180 days.

Solution

(अ) मि. गौतम भारत में 10 जुलाई, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक अर्थात् 206 दिन ठहरे। उन्होंने श्रेणी 'अ' की प्रथम शर्त को पूरा किया अर्थात् वह कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 में भारत में निवासी होने की श्रेणी 'ब' की शर्तों को भी पूरा करते हैं। अर्थात् मि. गौतम 10 जुलाई, 2018 से पूर्व भारत में नहीं थे, अतः न तो वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में निवासी रहे और न ही वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 729 दिन से अधिक भारत में रहे। वास्तविकता तो यह है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में वह भारत में बिल्कुल भी नहीं रहे क्योंकि वह भारत में नहीं थे। अतः मि. गौतम भारत में असाधारण निवासी हैं। असाधारण निवासी की दशा में भारत के अन्दर

उपार्जित एवं प्राप्त आयें तो कर-योग्य होती हैं किन्तु भारत के बाहर की आय तभी कर-योग्य होगी जब वे ऐसे व्यवसाय से प्राप्त हों जो भारत से नियन्त्रित है।

(ब) मि. गौतम भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वप्रथम आये और 180 दिन ठहरे। इस दशा में वह गत वर्ष 2018-19 में अनिवासी होंगे क्योंकि उन्होंने श्रेणी 'अ' की एक भी शर्त को पूरा नहीं किया। अनिवासी की दशा में केवल वही आयें कर-योग्य होंगी जो भारत में उपार्जित हैं या/और भारत में प्राप्त की गई हैं। भारत के बाहर की आयें अनिवासी के लिए कुल आय में शामिल नहीं की जायेंगी।

COMPUTATION OF TOTAL INCOME OF MR. GAUTAM

(for the Assessment Year 2019-20)

	<i>Not Ordinarily Resident</i>	<i>Non-resident</i>
	₹	₹
(a) Received from Govt. of India	2,50,000	2,50,000
(c) Received from Mr. 'P'	1,00,000	1,00,000
(d) Received in India from Mr. 'C' (from business set up in India)	1,75,000	1,75,000
Total Income	₹ 5,25,000	₹ 5,25,000

Example 15

डॉ. रमेश कुमार की 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर-योग्य आयों का विवरण निम्नलिखित है:

(i) अमरीका में मकान-सम्पत्ति से आय ₹ 10,000 जो अमरीका में ही एक बैंक में जमा करा दिये गये। इसमें से ₹ 4,000 भारत भेजे गये।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी ₹ 24,000।

(iii) नेपाल में व्यापार से आय ₹ 25,000, इसमें से ₹ 15,000 भारत में प्राप्त किये गये। यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है।

(iv) लंदन में विनियोग से आय ₹ 10,000।

(v) एक अनिवासी से ₹ 5,000 ब्याज प्राप्त किया। उसको भारत में व्यापार चलाने के लिए यह ऋण दिया गया था।

(vi) 'अ' एक निवासी से भारत के बाहर चल रहे एक व्यापार के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करने के प्रतिफल में रॉयल्टी प्राप्त की ₹ 20,000।

(vii) भारत में एक कारोबार से आय ₹ 40,000। इसका नियन्त्रण फ्रांस से किया जाता है।

(viii) दिल्ली में एक मकान के विक्रय से ₹ 30,000 की आय प्राप्त हुई।

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए डॉ. रमेश कुमार की कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह गत वर्ष में भारत में (अ) निवासी हो, (ब) असाधारण निवासी हो, तथा (स) अनिवासी हो।

Following are the particulars of taxable income of Dr. Ramesh Kumar for the previous year ending on 31st March, 2019 :

(i) Income from house property in America ₹ 10,000 which was deposited in a Bank in America, ₹ 4,000 out of this were remitted to India.

(ii) Royalty received from Govt. of India ₹ 24,000.

(iii) Income from business in Nepal ₹ 25,000 of which ₹ 15,000 were received in India, the business is controlled from India.

(iv) Income from investment in London ₹ 10,000.

(v) Interest received from a non-resident ₹ 5,000, against a loan given to him to run a business in India.

(vi) Royalty received from A, a resident, for technical services given to run a business outside India ₹ 20,000.

(vii) Income from business in India ₹ 40,000. This business is controlled from France.

(viii) Income from sale of house property in Delhi ₹ 30,000.

Calculate the total income of Dr. Ramesh Kumar for the assessment year 2019-20, if he is (a) Resident in India, (b) Not ordinarily resident in India, and (c) Non-resident.

Solution

COMPUTATION OF TAXABLE INCOME OF DR. RAMESH KUMAR

(for the Assessment Year 2019-20)

<i>Particulars of Income</i>	<i>Resident</i>	<i>Not Ordinarily Resident</i>	<i>Non- resident</i>
(i) Income from house property in America	₹ 10,000	₹ —	₹ —
(ii) Royalty received from Govt. of India	₹ 24,000	₹ 24,000	₹ 24,000
(iii) (a) Income from business in Nepal received in India	₹ 25,000	₹ —	₹ —
(b) Controlled from India	₹ —	₹ 25,000	₹ —
(c) Received in India	₹ —	₹ —	₹ 15,000
(iv) Income from Investment in London	₹ 10,000	₹ —	₹ —
(v) Interest received from non-resident against a loan given to him to run a business in India	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000
(vi) Royalty received from 'A' for technical services given to run a business outside India	₹ 20,000	₹ —	₹ —
(vii) Income from business in India, business controlled from France	₹ 40,000	₹ 40,000	₹ 40,000
(viii) Income from sale of house property in Delhi	₹ 30,000	₹ 30,000	₹ 30,000
Taxable Income	₹ 1,64,000	₹ 1,24,000	₹ 1,14,000

Source →

आयकर विधान एवं लेखे

INCOME TAX LAW & ACCOUNTS

लेखक

डॉ. आर. के. जैन

पूर्व प्राचार्य

राजा बलवन्त सिंह कॉलेज, आगरा

[सम्बद्ध डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय), आगरा]

SPECIMEN COPY
NOT FOR SALE

एस बी पी डी पब्लिकेशन्स